

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत... उपखण्ड अधिकारी मुकाम... बायतु

प्रहलादबलि कोटे बनाम... सुनील कोटे

किस्म मुकदमा... नं. 109/2022 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/4/22 28/04/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रविशंकर मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>11, 128</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>28/4/22</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाडमेर</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी कोटे के नोटिस तामील मसुदा तामिल मसुदा इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक <u>28/04/22</u> को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला- बाडमेर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय
नं. 33

09/05/2022

प्राथी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों
के नोडिस लॉकेल मंडम लॉकेल फिजल
इन्वजा रीडर पत्रावली फौजल रिनिड
23/05/2022 से फेर दी म

सहायक कलक्टर (S.C.)
बायतु
जिला - बाडमेर

//

23/05/2022

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद
तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज
लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई।
विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता
उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्राथी
अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा
बताया गया कि प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत
सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की
सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में
आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी एवं
विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी
का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक
से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर
कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फौसल शुमार हो,
दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (S.C.)
बायतु
जिला - बाडमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 739

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 23/05/2022

विप्रार्थीगण

1. प्रहलादराम पुत्र सोनाराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी पनोणी जाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. पुनमाराम पुत्र मगाराम वगैरा 31,
जाति जाट, निवासी दानोणी मेगवालों की
ढाणी, पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की
ढाणी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 169/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - पनोणी जाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1218/1124 रकबा क्रमशः 11.5444 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित थानाधिकारी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 740-744

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवार: हल्का नगोणी धतरवालों की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रहलादराम पुत्र सोनाराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री पुनमाराम पुत्र मगाराम वगैरा 31,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक: 23/05/2022
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर